

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

(वन भवन, एच.आई.जी.-36 अशोक विहार कालोनी फेज-1, पहड़िया, वाराणसी-221007)

दूरभाष/फैक्स-0542 2585574

ई-मेल dfovns@yahoo.in

पत्रांक:- 184/ 129-1,

दिनांक, वाराणसी, अक्टूबर, 29 2024 ।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।

विषय-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल याचिका संख्या-ओ.ए.-928/2024, सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-31.07.2024 की अनुपालन आख्या मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त विषयक सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयगत वाद काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में बिना सक्षम स्तर की अनुमति के वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में उपरोक्त वाद दाखिल है। विषयगत वाद में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा दिनांक-31.07.2024 को पारित विस्तृत आदेश के बिन्दू संख्या-5 में अंकित कमेटी के द्वारा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी परिसर में पातन किये गये वृक्षों एवं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी परिसर में वृक्षारोपण किये गये पौधों के सम्बन्ध में जांच/परीक्षण करने के आदेश हैं। मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-31.07.2024 की अनुपालन आख्या नियत तिथि दिनांक-11.11.2024 से पूर्व मा0 न्यायालय में दाखिल किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित है।

अतः अनुरोध है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल याचिका संख्या-ओ.ए.-928/2024, सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-31.07.2024 की अनुपालन आख्या मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही में संक्षिप्त इतिहास एवं प्रस्तरवार आख्या प्रेषित की जा रही है। कृपया मा0 न्यायालय में अनुपालन आख्या दाखिल करने की कृपा करें।

संलग्नक- संक्षिप्त इतिहास एवं पैरावाइज नरेटिव।

भवदीया,



(स्वाति)

प्रभागीय वनाधिकारी,

वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

प्रभागीय वनाधिकारी

वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल याचिका संख्या-ओ.ए.-

928/2024, सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य का

संक्षिप्त इतिहास:-

मूल वाद संख्या-928/2024 में वादी श्री सौरभ तिवारी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के अनुमित के काटे गये वृक्षों के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, न्यायालय में वाद दाखिल किया गया है कि "बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी के 1300 एकड़ परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पेड़ मौजूद थे, जिसे बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की गयी है, जिसमें सागौन आम आदि के वृक्ष काटे गये हैं यहां तक की चन्दन के पेड़ भी काटे गये हैं।" याची द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यह झूठा तर्क दिया जा रहा है कि उनके द्वारा उक्त काटे गये वृक्षों के एवज में कई वृक्ष लगाये गये हैं। याची ने अपने याचिका प्रार्थना पत्र के साथ विभिन्न फोटोग्राफ एवं जी.पी.एस. कोआर्डिनेट्स अपने तथ्य को प्रमाणित करने हेतु प्रस्तुत किये गये हैं। मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक-31.07.2024 को इस सन्दर्भ में एक आदेश पारित किया गया है, जिसके प्रभावी अंश निम्न प्रकार हैं-

5. In order to ascertain the truthfulness of the allegation and also the extent of trees which have been cut, if any permission was obtain before cutting of trees and if any compensatory plantation has been done, we deem it proper to form a committee comprising of RO, MoEF and CC Lucknow and Divisional Forest Officer, Varanasi who will act as the coordinating agency.

6. The Two Member committee will visit the site and ascertain the correct position keeping in view the observations made above and will submit report before the Tribunal at least one week before the next date of hearing.

7. List on 11.11.2024.

मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक-31.07.2024 के अनुपालन आख्या मा0 न्यायालय में ससमय प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में उप वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय), एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के द्वारा अपने पत्रांक-1330/यू.पी./2024/178 दिनांक-09.08.2024 से प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी को अवगत कराते हुए पत्र की प्रति अन्य के साथ साथ वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी को प्रेषित की गयी। (संलग्नक-1)

मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक-31.07.2024 के अनुपालन के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी के द्वारा अपने पत्रांक-81/29-1, दिनांक-29.08.2024 से उप प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में सम्बन्धित से सम्पर्क/स्थलीय निरीक्षण करते हुए स्पष्ट तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। (संलग्नक-2)



मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक-31.07.2024 के अनुपालन आख्या मा0 न्यायालय में समय प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में उप वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय), एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के द्वारा अपने पत्रांक-1330/यू.पी./2024/190 दिनांक-03.09.2024 से वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी को अवगत कराते हुए पत्र की प्रति अन्य के साथ साथ वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी को प्रेषित की गयी। (संलग्नक-3)

वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी के द्वारा कुल सचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी को अपने पत्रांक-661/2-43, दिनांक-04.09.2024 से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिहरण, नई दिल्ली में दाखिल विषयगत वाद में पारित आदेश दिनांक-31.07.2024 के अनुपालन के क्रम में वाद में उल्लिखित तथ्यों के सम्बन्ध में आख्या/अभिलेख वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी के कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया गया। (संलग्नक-4)

मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक-31.07.2024 के अनुपालन के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी के द्वारा वॉड्स चान्सलर, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी को मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विषयगत वाद से सम्बन्धित तथ्यात्मक आख्या इस कार्यालय के पत्रांक-1269/29-1, दिनांक-25.09.2024 से प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी के कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया गया। (संलग्नक-5)

मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उप प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी के द्वारा टीम गठित करते हुए गठित टीम के साथ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में कटान किये गये एवं वृक्षारोपण किये गये स्थलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रो0 सरफराज आलम एवं सम्बन्धित स्टॉफ मौके पर उपस्थित रहे। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/सूची दिनांक-12.09.2024 के आधार पर 152 वृक्षों के पातन हेतु वन विभाग से अनुमति ली गयी। (संलग्नक-6) संयुक्त निरीक्षण के दौरान 149 वृक्षों का पातन पाया गया। (संलग्नक-7) अनुमति लिये गये 152-149=3 वृक्षों के सम्बन्ध में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय प्रशासन स्थिति स्पष्ट नहीं कर सका।

प्रभागीय अभिलेखों के अनुसार काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में स्थित वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 (वर्तमान तक) 135 वृक्षों के पातन अनुमति प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी द्वारा निर्गत की गयी है। इस प्रकार काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा 149 पातित वृक्षों के सापेक्ष 135 वृक्षों की पातन अनुमति दिये जाने के उपरान्त शेष 14 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय प्रशासन स्थिति स्पष्ट नहीं कर सका। (संलग्नक-8)

प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी के द्वारा गठित टीम ने मौके पर 12 वृक्षों (आम-06, गोल्ड मोहर-03, कटहल-1 एवं महुआ-02) का अवैध कटान पाया गया जिसके सम्बन्ध में वाराणसी वन प्रभाग द्वारा वन अपराध संख्या-43/2024-25 दिनांक-23.10.2024 वाराणसी रेंज द्वारा पंजीकृत किया गया है। (संलग्नक-9)

वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी के द्वारा गठित टीम के द्वारा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में कुल 161 वृक्षों का पातन पाया गया जिसके सापेक्ष विश्वविद्यालय प्रशासन को 135 वृक्षों की अनुमति वन विभाग द्वारा दी गयी थी। इस प्रकार विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 26 वृक्षों का पातन बिना वन विभाग के अनुमति लिये किया गया, पाया गया। इस सम्बन्ध में वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी के द्वारा उप वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार लखनऊ को अपने पत्रांक-1053/2-43, दिनांक-15.10.2024 द्वारा अवगत कराया गया। (संलग्नक-10)

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी के द्वारा गठित टीम ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में 135 वृक्षों के पातन अनुमति के सापेक्ष 1630 पौधों वृक्षारोपण पाया गया।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में बिना अनुमति के काटे गये 26 वृक्षों एवं 07 चन्दन के वृक्षों के अवैध पातन एवं काशी हिन्दू परिसर में वृक्षों की सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में किये गये प्रयासों के सम्बन्ध में तथ्यात्मक आख्या/अभिलेखित साक्ष्य प्रभागीय कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी के द्वारा अपने पत्रांक-1802/29-1, दिनांक-26.10.2024 से रजिस्ट्रार, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी को दिनांक-28.10.2024 तक उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया गया। (संलग्नक-11)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिहरण, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त वाद में पारित आदेश दिनांक-31.07.2024 के क्रम में दिनांक-24.10.2024 को उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार लखनऊ, वन संरक्षक वाराणसी वृत्त, वाराणसी, प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग वाराणसी एवं वन विभाग के क्षेत्रीय कर्मों तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रतिनिधि प्रो0 इंचार्ज सरफराज आलम, उद्यान विशेषज्ञ इकाई, श्री अश्वनी कुमार देशवाल, उद्यान विशेषज्ञ अधिकारी, प्रो0 बी. राम द्रव्य गुण विभाग, आई.एम.एस. बी.एच.यू. एवं श्री राज जन्म राम माली की उपस्थिति में स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा स्थलीय निरीक्षण एवं विश्वविद्यालय प्रशासन के उपस्थित प्रतिनिधि के द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में वृक्षों की सुरक्षा के सम्बन्ध में आन्तरिक टीम गठित है जिसके द्वारा वृक्षों की निगरानी एवं अनुश्रवण किया जाता है। मौके पर विश्वविद्यालय प्रशासन से अपेक्षा की गयी की विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा वृक्षों के सुरक्षा के सम्बन्ध में गठित टीम एवं विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा काटे गये वृक्षों के सम्बन्ध में अब तक की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी के कार्यालय में 28.10.2024 तक उपलब्ध करा दें। (संलग्नक-11)

मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक-31.07.2024 के अनुपालन में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में 26 वृक्षों का अवैध पातन पाया गया एवं 07 चन्दन वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में वन विभाग को कोई सूचना नहीं दी गयी। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर चारो तरफ दिवारों से घिरा होने के साथ साथ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय से बाहर आवागमन के समस्त गेटों पर सुरक्षा गार्ड तैनात किये गये हैं तथा विश्वविद्यालय परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं इसके बाद भी विश्वविद्यालय परिसर से वृक्षों का अवैध कटान, अवैध ढूलान/चौरी हो जाना सन्देहास्पद है। अतः वादी द्वारा वाद में उल्लिखित चन्दन वृक्षों के सम्बन्ध में याची का कथन व शिकायत पूर्ण सिद्ध होती है एवं इसके अतिरिक्त अन्य प्रजाति के 26 वृक्षों के पातन अनुज्ञा विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत न किये जाने के कारण 26 वृक्षों का अवैध पातन विश्वविद्यालय परिसर में पाया गया।



(स्वाति)

प्रभागीय वनाधिकारी,
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।



भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : roez.lko-mef@nic.in, goimofrolko@gmail.com

File No: L-1330/UP/2024 / 17 d

Date: 09.08.2024

Court matter/ Email

8710 To,
CCF(NODAL)
CCF(CCG) ✓
Divisional Forest Officer
Forest Department of U.P
Varanasi
Email: dfovrns@yahoo.co.in

Sub: O.A. NO. 928 OF 2024 TITLED AS SAURABH TIWARI VS UNION OF INDIA &ORS BEFORE THE HON'BLE, NGT, NEW DELHI-reg.

Kindly refer to the above cited subject matter. In this Original Application, the plea of the applicant is that various species of trees were existing in the 1300-acre campus of Banaras Hindu University. The allegation is that large number of trees felling has taken place within the campus without any permission by the competent authority. It is alleged that the trees of Shagaun, Sandalwood, Mango, etc. have been cut and even Chandan trees have been felled. The applicant has also alleged that the authorities of the University are taking the false plea on the paper that they have planted various trees, in lieu of the trees which have been cut.

In support of the plea taken in the O.A. applicant has filed the photographs with geo-coordinates from page 23 onwards depicting the extent of illegal felling of trees which has taken place in the campus premises. He has also submitted that though the students have staged a protest against illegal felling of trees but ignoring the same the tree cutting has continued. The Hon'ble Tribunal was pleased to pass the order dated 31.07.2024 (copy enclosed), the relevant para read as:

".....5. In order to ascertain the truthfulness of the allegation and also the extent of trees which have been cut, if any permission was obtained before cutting of trees and if any compensatory plantation has been done, we deem it proper to form a Committee comprising of RO, MoEF and CC Lucknow and Divisional Forest Officer, Varanasi who will act as the coordinating agency."



DFO(C)/CCF(C)

11-8-24

6. The Two Member Committee will visit the site and ascertain the correct position keeping in view the observations made above and will submit report before the Tribunal at least one week before the next date of hearing.

7. List on 11.11.2024....."


..."

In compliance of above order, undersigned has been nominated on behalf of RO, MoEF&CC, Lucknow.

You are requested to arrange the site inspection and confirm a date of it after consultation with undersigned to comply the Hon'ble Tribunal Order within stipulated time period

Encl: As above

Yours Sincerely,



(Dr. Prachi Gangwar)

Deputy Inspector General of Forests (Central)

Copy to:

1. PCCF (HOFF), Forest Department, Lucknow. U.P. Email: pccf-up@nic.in
2. CCF/Nodal Officer, Forest Department, Lucknow. U.P. Email: ccfnodalup@gmail.com
3. CF, Varanasi Circle, Varanasi. Email: cfvaranasi2@vahoo.com


प्रभागीय वनाधिकारी
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी


डॉ. प्राची गंगवार
DR. PRACHI GANGWAR
उप वन महानिरीक्षक (केंद्रीय)
Dy. Inspector General of Forests (Central)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Integrated Regional Office, Lucknow-226024

संलग्नक - ②
कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

(वन भवन, एच.आई.जी.-36 अशोक विहार कालोनी फेज-1, पहडिया, वाराणसी-221007)

दूरभाष/फैक्स-0524 2585574

ई-मेल dfovrns@yahoo.in

पत्रांक - १/८ /29-1,

दिनांक, वाराणसी, अगस्त , 29 2024 ।


सेवा में,

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
वाराणसी ।

विषय - नोटिस फार हेयरिंग इन ओ.ए. संख्या-928/2024 राौरम तिवारी वनाग यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 एन.जी.टी का आदेश दिनांक-31.07.2024 के सम्बन्ध में।

संदर्भ - प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, 30प्र0 लखनऊ का पत्रांक-को.के. 410/6ई (एन.जी.टी.) दिनांक-13.08.2024 एवं वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी का पत्रांक-456/2-43, दिनांक-16.08.2024 एवं इस कार्यालय की पृष्ठांकन पत्रांक-780/2-43, दिनांक-20.08.2024।

उक्त विषयक सन्दर्भित प्रकरण बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में पातित वृक्षों से सम्बन्धित है जिसमें मा0 एन.जी.टी. द्वारा दिनांक-31.07.2024 को विस्तृत आदेश किये गये हैं। आदेश के क्रम में अपेक्षित आख्या मा0 एन.जी.टी. में नियत तिथि 11.11.2024 को प्रस्तुत किये जाने के निर्देश हैं। विषयगत याचिका एवं मा0 एन.जी.टी. के आदेश दिनांक-31.07.2024 के प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि विषयगत प्रकरण की गहनता के दृष्टिगत तत्काल बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में सम्बन्धित से सम्पर्क/स्थलीय निरीक्षण करते हुए स्पष्ट तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध कराये।



(स्वाति)

प्रभागीय वनाधिकारी,
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।


पत्रांक - १/१० /समदिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उपरोक्त प्रकरण में कृपया दिशानिर्देश देने की कृपा करें।

1. मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस, 30प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी क्षेत्र, प्रयागराज।
3. वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी।
4. क्षेत्रीय वनाधिकारी, वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उप प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी से वार्ता करते हुए विषयगत प्रकरण में अपेक्षित सहयोग प्रदान करें।


(स्वाति)

प्रभागीय वनाधिकारी,
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।


प्रभागीय वनाधिकारी
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

485
11-ली संलग्नक - (3)

04/09/2024



भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : roc.lko-mef@nic.in, guimofrolko@gmail.com

File No: L-1330/UP/2024/190

Date: 03.09.2024

Court matter/ Email

To,
Conservator of Forest
Varanasi Circle,
Varanasi. Email: cfvaranasi2@yahoo.com

Sub: O.A. NO. 928 OF 2024 TITLED AS SAURABH TIWARI VS UNION OF INDIA & ORS BEFORE THE HON'BLE, NGT, NEW DELHI-reg.

Ref:

Kindly refer to the above cited subject matter. In this Original Application, the plea of the applicant is that various species of trees were existing in the 1300-acre campus of Banaras Hindu University. The allegation is that large number of trees felling has taken place within the campus without any permission by the competent authority. It is alleged that the trees of Shagaun, Sandalwood, Mango, etc. have been cut and even Chandan trees have been felled. The applicant has also alleged that the authorities of the University are taking the false plea on the paper that they have planted various trees, in lieu of the trees which have been cut.

In support of the plea taken in the O.A. applicant has filed the photographs with geo-coordinates from page 23 onwards depicting the extent of illegal felling of trees which has taken place in the campus premises. He has also submitted that though the students have staged a protest against illegal felling of trees but ignoring the same the tree cutting has continued.

The Hon'ble Tribunal was pleased to pass the order dated 31.07.2024 (copy enclosed), the relevant para read as:

"...5. In order to ascertain the truthfulness of the allegation and also the extent of trees which have been cut, if any permission was obtained before cutting of trees and if any compensatory plantation has been done, we deem it proper to form a Committee comprising of RO, MoEF and CC Lucknow and Divisional Forest Officer, Varanasi who will act as the coordinating agency.

6. The Two Member Committee will visit the site and ascertain the correct position, keeping in view the observations made above and will submit report before the Tribunal at least one week before the next date of hearing.

7. List on 11.11.2024....."

..."

In view of above, you are requested to conduct a site inspection and submit the preliminary report within 15 days as to enable this office to comply the Hon'ble Tribunal Order within stipulated time period

Encl: As above

Yours Sincerely,

[Signature]
(Dr. Prachi Gangwar) 03.09.2024

Deputy Inspector General of Forests (Central)

Copy to:

1. CCF/Nodal Officer, Forest Department, Lucknow. U.P. Email: ccfnodalup@gmail.com
2. CCF, South Region, Forest Department, Prayagraj. U.P. Email: ccfah-up@nic.in
3. DFO, Varanasi. Email: dfovrns@yahoo.co.in

[Signature]
(Dr. Prachi Gangwar) 03.09.2024

Deputy Inspector General of Forests (Central)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 640 /11-सी, लखनऊ, दिनांक: सितम्बर ०५, 2024

प्रतिलिपि- निम्नलिखित अधिकारियों को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

as

[Signature]
प्रभागीय वनाधिकारी
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

[Signature]
(प्रमोद कुमार गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

Scanned with OKEN Scanner



संलग्नक- ④

कार्यालय वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी
(वन भवन, एच0आई0जी0-33, अशोक बिहार कालोनी फेज-1 पहड़िया वाराणसी-221007
E-Mail-cfvaranasi2@yahoo.com, cfva-up@nic.in दूरभाष-0542-2585444

पत्रांक- /2-43, दिनांक वाराणसी, सितम्बर, 04 2024

सेवा में

कुल सचिव,
काशी हिन्दू विश्व विद्यालय,
वाराणसी।

विषय:- Notice for hearing in O.A.No.928 of 2024 (Saurabh Tiwari vs Union of India & ors) before Hon'ble Natational Green Tribunal, New Delhi.

संदर्भ:- भारत सरकार पत्रांक File No.L-1330/यू0पी0/2024/178 दिनांक-09-08-2024 एवं पत्र-File No.L-1330/UP/2024/190 दि0-03.09.2024 ।

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है अवलोकन करने का कष्ट करें, मूल वाद संख्या-928/2024 में शिकायतकर्ता सौरभ तिवारी द्वारा मा0 न्यायालय में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष काटे गये हैं, के सम्बन्ध में वाद दाखिल किया गया है कि, काशी हिन्दू विश्व विद्यालय, वाराणसी के 1300 एकड़ परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पेड़ मौजूद थे, जिसे बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की गयी है, जिसमें सागौन, आम आदि के वृक्ष काटे गये हैं और यहाँ तक की चन्दन के पेड़ भी काटे गये हैं।

शिकायतकर्ता द्वारा यह भी बताया गया है कि विश्वविद्यालय के अधिकारी कागज पर झूठा तर्क दे रहे हैं कि उन्होंने काटे गये पेड़ों के बदले में विभिन्न पेड़ लगाये गये हैं। शिकायत कर्ता ने ओ0 ए0 में ली गई दलील के समर्थन में आवेदन के परिसर में हुए पेड़ों की अवैध कटाई की सीमा को दर्शाते हुए पृष्ठ 23 से आगे भू-निर्देशान्क के साथ तस्वीरें दाखिल की गयी हैं। पेड़ों की अवैध कटाई के खिलाफ छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया लेकिन इसकी अनदेखी करते हुए पेड़ों की कटाई जारी रही।

उक्त के सम्बन्ध में कृपया अवगत कराने का कष्ट करें कि काशी हिन्दू विश्व विद्यालय, वाराणसी के परिसर में वित्तीय वर्ष-2023-24 व 2024-25 में कितने-कितने सागौन, चन्दन, आम व अन्य प्रजाति के वृक्ष काटे गये हैं, तथा काटे गये विभिन्न प्रजाति के बदले कितने वृक्ष प्रजातिवार लगाये गये हैं की सूचना तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-31-07-2024 के अनुपालन में कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय द्वारा निर्धारित अगली नियत तिथि 11-11-2024 से एक सप्ताह पहले न्यायाधिकरण के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत किया जा सके।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(डा0 रवि कुमार सिंह)
वन संरक्षक,
वाराणसी वृत्त, वाराणसी

संख्या- 66) (1)/ समदिनांकित।

✓ प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

45
प्रभागीय वनाधिकारी
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

(डा0 रवि कुमार सिंह)
वन संरक्षक,
वाराणसी वृत्त, वाराणसी

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

(वन भवन, एच.आई.जी.-36 अशोक विहार कालोनी फेज-1, पहड़िया, वाराणसी-221007)

दूरभाष/फैक्स-0542 2585574

ई-मेल dfovrns@yahoo.in

पत्रांक:- 1269 /29-1,

दिनांक, वाराणसी, सितम्बर , 25 2024 ।

सेवा में,

वाइस चॉन्सलर,

बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी।

विषय-

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल याचिका संख्या-ओ.ए.-928/2024, सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-31.07.2024 की अनुपालन आख्या मा0 न्यायालय में नियत तिथि दिनांक-11.11.2024 को प्रस्तुत करते हुए प्रभावी पैरवी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त विषयक सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयगत याचिका बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी परिसर में स्थित वृक्षों के पातन से सम्बन्धित है। विषयगत याचिका याची द्वारा अन्य के साथ साथ आपको प्रेषित की गयी है तथा आप को प्रतिवादी संख्या-2 नामित किया गया है। विषयगत प्रकरण से सम्बन्धित तथ्यात्मक आख्या 01 सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय में ईमेल-dfovrns@yahoo.in पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विषयगत याचिका में पारित आदेश दिनांक-31.07.2024 की अनुपालन आख्या एवं याचिका में उल्लिखित तथ्यों से सम्बन्धित आख्या नियत तिथि दिनांक-11.11.2024 से पूर्व मा0 न्यायालय में दाखिल करते हुए प्रभावी पैरवी करने तथा एक प्रति इस कार्यालय में ईमेल-dfovrns@yahoo.in पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,


(स्वाति)

प्रभागीय वनाधिकारी,
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

पत्रांक:- 1269 /समदिनांकित ।

प्रतिलिपि-

1. वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. उप प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की विषयगत प्रकरण में आपको अधोहस्ताक्षरी द्वारा वार्ता करते हुए निर्देश दिये गये। विषयगत प्रकरण में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में सम्बन्धित से सम्पर्क स्थापित करके विषयगत प्रकरण में तथ्यात्मक आख्या उपलब्ध करायें। विषयगत प्रकरण में मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रभाग स्तर से की जाने वाली समस्त कार्यवाही हेतु आपको नामित किया जाता है।



(स्वाति)

प्रभागीय वनाधिकारी,
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।



Details of trees planted in BHU Campus from Jan 2022 - Aug 2024

Ser	No of Trees cut	Species	Letter of Approval	No of Trees Planted as part of compensato ry norms		Year	Species	Locations where trees were planted
1.	49	Jamun - 1 Sernal - 1 Shisham-13 Chil Bil-4 Jungle Jalebi-3 Imli-1 Neem-1 Eucalyptus -24 Wild-1	Letters No.3602/22-1 dated 06 Apr 2022, 1502/22-1 dated 18 Oct 2022 & 1610/22-A dated 28 Oct 2022, 1504/22-1 dated 18 Oct 2022, 1615/22-1 dated 28 Oct 2022, 1616/22-1 dated 28 Oct 2022 and Neem-1 dated 28 Oct 2022 and Eucalyptus -24 1503/22-1 dated 18 Oct 2022	536	2022	Teak-189, Mango-294, Sandalwood-3, Kalpriksh-2, Bargad-3, Pipal-2, Amila-2, Belpatra-4, Jamun-23, Ashoka-2, Kadamb-2, Mousari - 10	Hyderabad gate - Naryn gate, Ramnag Hostel, IT Chauraha, Computer Centre, Inform of SBI main Branch, Bharendu Harishchandra Hostel, IESD, Swantara Bhawan, etc.	
2.	39	Eucalyptus -39 Wild-1	Letters No 2579/22-1 dated 18 Jan 2023 and 3809/22-1 dated 09 May 2023	419	2023	Mango-203, Neem-21, Bargad-1, Mahua-50, Jamun-12, Imli-10, Teak-122	Cochin House, Malaviya Bhawan, Medical College, Malaviya Anushcehan Kendra, NCC-0 Mother Teresa Hostel, Dept of Agriculture, etc.	
3.	64	Peepal-1 Gular - 3 Mango-3 Sahoot-1 Sagun - 4 Teak - 45 Mahua-1, Shemal-1 Eucalyptus-2 Neem-1, Jungle Jalebi-2	Letters No 2505/22-1 dated 04 Feb 2024, 4087/22-1 dated 04 May 2017, 2504/22-1 dated 04 Feb 2024, 1504/22-1 dated 01 Dec 2023 and 2929/22-1 dated 12 Apr 2024	652	2024	Mango-279, Teak-199, Neem-4, Peepal-7, Bargad-2, Amila-35, Gumohar-12, Imli-10, Siras-2, Mosami-34, Sharifa-17, Ashoka - 21, Orange-30,	Central Nursery, Dravyagun Sansthan, near Main Gate, Computer Centre, IT chauraha till Dairy Farm, Naryn Gate to Hyderabad Gate, Zoology to Kottai Chauraha, etc.	
Total	152			1607				

प्रणवी वनाधिकारी
नाराणसी वन प्रभाग, नाराणसी

Santavya Khan
अचार्य प्रणवी
Professor-In-Charge
उद्यान विशेषज्ञ इकाई
Horticultural Unit
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
Banaras Hindu University

संलग्नक (7)

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

(वन भवन, एच.आई.जी. 36, अशोक विहार कालोनी फेज-1, पहड़िया, वाराणसी-221007)

दूरभाष/फैक्स- 0542 2585574

ई-मेल dfovrns@yahoo.in

पत्रांक- 37 / 29-1 दिनांक, वाराणसी, सितम्बर 13 2024 ।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वाराणसी वन प्रभाग,
वाराणसी।

विषय- वर्ष 2022-23 व 2023-24 में पातित वृक्ष के सापेक्ष कराये गये वृक्षारोपण का स्थलीय भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में।

संदर्भ- आपका पत्रांक- 810/29-1 दिनांक- 29.08.2024

महोदया,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में काशी हिन्दू विश्व विद्यालय, वाराणसी परिसर में वर्ष 2022-23 व 2023-24 में पातित वृक्ष के सापेक्ष कराये गये वृक्षारोपण का स्थलीय भौतिक सत्यापन इस वन प्रभाग के श्री संजय कुमार क्षेत्रीय वन अधिकारी काशी रेंज, श्री राजकुमार गौतम, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी, वाराणसी रेंज एवं श्री राहुल बलवन्त वन रक्षक, वाराणसी रेंज की कमेटी बनाकर स्थलीय भौतिक सत्यापन दिनांक- 07.09.2024 को कराया गया। सत्यापन रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राकेश कुमार)

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधि.
वाराणसी वन प्रभाग वाराणसी
रम सं० 1802
नावली सं० 297
दि० 19-9-24

संख्या- / समदिनांकित

प्रतिलिपि- प्रो० सरफराज आलम, उद्यान विशेषज्ञ, विभाग प्रभारी, काशी हिन्दू विश्व विद्यालय, वाराणसी को सूचनार्थ प्रेषित।

(राकेश कुमार)

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

प्रभागीय वनाधिकारी
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

सेवा में,

श्रीमान् उप प्रशासकीय वताधिकारी

वाराणसी, वन प्रभाग

वाराणसी ।

विषय- वर्ष 2022-23 व 2023-24 में पाठित वृक्ष के सापेक्ष कराये गये वृक्षारोपण का स्थलीय भौतिक स्थापन के सम्बन्ध में

सन्दर्भ- आपका पत्रांक 32/29-1 दिनांक 04-09-2024 ।

महोदय,

संदर्भित पत्रांक के अनुपालन में काशी हिन्दु विश्व विद्यालय वाराणसी परीक्षार्थ में वर्ष 2022-23 व 2023-24 में पाठित वृक्ष के सापेक्ष कराये गये वृक्षारोपण का स्थलीय भौतिक स्थापन किया गया। भौतिक पर उपरिष्ठ काशी हिन्दु विश्व विद्यालय के डॉ० कल्याण वर्मा, सह सम्बन्धक, अध्यापक विशेषज्ञ इकाई, श्री रामजनम राय माली, श्री शोभा प्रकाश, माली उपस्थित रहे।

सत्यापित किये गये पौधों का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम संख्या	पौधों का नाम	पौधों की संख्या	रोपित वर्ष	स्थल का नाम
1.	आम	14	2023-24	उद्यान विभाग परीक्षार्थ
2.	मौलसी	11	— " —	— " —
3.	अशोक	150	— " —	— " —
4.	आम	45	— " —	उद्यान विभाग परीक्षार्थ (नकीली के पास)
5.	आम	30	2022-23	— " —
6.	सागौन	45	— " —	— " —
7.	पीपल	01	2023-24	— " —
8.	फणकल पान्सा	52	2022-23	गोंजहा के पास
9.	सागौन	31	2023-24	BHU प्रैक्ष
10.	अशोक	29	2022-23	पर्यवेक्षण विभाग के पास
11.	आम	70	— " —	— " —

रामजनम राय माली / Sanjay Ale

12.	गोल्डमोडर	05	2022-23	पर्यावरण विभाग के पाल
13.	कैजी	05	— " —	— " —
14.	शीशभ	05	— " —	— " —
15.	अशोक	50	2022-23	स्वतंत्रता भवन से कर्मनवीरमंदी रोड तक
16.	नीम	5	— " —	— " —
17.	आम	24	2023-24	डी - डाल्टन
18.	आम	30	— " —	दोय गेट से ITT गेट धाश
19.	स्नागौन	15	— " —	मधाधना विद्यालय रोड.
20.	आम	25	— " —	गेट धाशु पोटाध से IT
21.	आम	25	2022-23	लाइब्रेरी
22.	— " —	15	2023-24	कम्प्युटर सेन्टर से नान विनि सेन्टर तक
23.	संतरा	25	— " —	— " —
24.	मुरमबी	25	— " —	कृषि विज्ञान संस्थान
25.	आम	15	2022-23	सेन्ट्रल ऑफिस से बॉटनी-पोटाध
26.	आम	25	2023-24	— " —
27.	आम	15	— " —	बॉटनी ऑफिस से VT
28.	जामुन	20	2023-24	NCC-पोटाध से धनसन्धी-पोटाध
29.	नीम	5	— " —	— " —
30.	स्नागौन	40	— " —	नरिया गेट से KV पोल्ड ऑफिस
31.	— " —	20	2022-23	— " —
32.	नीम	06	2023-24	सुन्दर बनीया गेट से P.O
33.	बदगद	01	— " —	— " —
34.	आम	01	— " —	— " —
35.	आम	09	— " —	पोल्ड ऑफिस से मैत्री जलपान भूट
36.	गुलानीम	01	— " —	— " —
37.	बदगद	01	— " —	— " —
38.	डमली	30	2023-24	— " —
39.	डमली	07	2022-23	— " —

40	नीम	34	2022-23	नेनो टेक्नो लॉली से प्रोन्चा-पॉट
41	आम	02	— " —	— " —
42	आम	25	2022-23	प्रोन्चा-पॉट से यू PHD गल्ले हाउस
43	इमली	24	— " —	बॉली इन्डिंग से प्रिन्सिपल कॉलोनी तक
44	आम	15	— " —	— " —
45	नीम	09	— " —	— " —
46	पाकड़	01	— " —	— " —
47	आम	25	— " —	प्रिन्सिपल कॉलोनी से महाप्रना विद्यालय
48	रागोन	20	— " —	— " —
49	आम	25	— " —	हंपराबाद गेट से राणपुराना चौराहे
50	महुआ	20	2022-24	— " —
51	आम	90	— " —	कोटभाल-चौराहे से LD रोड घाड़ें चौराहे
52	महुआ	19	2022-23	— " —
53	बरगद	03	2022-24	— " —
54	पीपल	01	— " —	— " —
55	अशोक	02	— " —	— " —
56	मौलश्री	27	2022-23	सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल के पास
57	आंवला	10	— " —	आयुर्वेद क्लेज के पास
58	आम	07	— " —	— " —
59	सफेद-कन्दन	03	— " —	विश्वनाथ मंदीर परीसर
60	कल्पवृक्ष	01	— " —	— " —
61	आंवला	02	— " —	— " —
62	बेज	04	— " —	— " —
63	अशोक	02	— " —	— " —
64	कदमब	02	— " —	— " —
65	रुद्राक्ष	02	— " —	— " —
66	आम	11	— " —	पर्यावरण विभाग परीसर



PC

जय श्री गणेशाय श्री Sanyog Ale

श्री गणेशाय

67.	नीम	17	2022-23	पर्यावरण विभाग धरीबा
68.	डोंवला	21	— " —	— " —
69.	बेल	07	— " —	— " —
70.	जालुन	09	— " —	— " —
71.	— " —	11	— " —	यू PHD डॉक्टर से पटेल चौदा तक
72.	आम	10	— " —	— " —
73.	गुलानीत	04	— " —	— " —
74.	नीम	02	— " —	— " —
75.	महुआ	23	— " —	पटेल चौदा के चकन्ती चौदा तक
76.	आम	03	— " —	— " —
77.	पीपल	02	— " —	कृषि विभाग संख्यात
78.	आम	14	— " —	— " —
79.	गुलानीत	08	— " —	जालुन विभाग
80.	आम	01	— " —	— " —
81.	नीम	01	— " —	— " —
82.	आम	16	— " —	रसायन विभाग
83.	बरगद	05	— " —	— " —
89.	आम	20	— " —	राजनीत विभाग
90.	डोंवला	09	— " —	— " —
91.	पानरु	01	— " —	— " —


प्रणालीय वनाधिकारी वरिष्ठ 2022-23 व 2023-24 में पालित क्षेत्र के सामे 1498 पौधरोपण किया गया है।
 अतिरिक्त सूचनाएं एमएच आरएचएन कार्यालयी सुप्रोविदेन
 राधकृष्ण शर्मा
 सहायक वन अधिकारी
 काशी रेंज
 वाराणसी वन प्रभाग वास
 20/08/24



प्रो. प्रजापति *Sanjay Kumar*
 2106-1214

एस


₹
 प्रभागीय वनाधिकारी
 वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी




E9, Varanasi, Uttar Pradesh 221010, India
 Latitude 25.2755323° Longitude 82.9866109°
 Local 04:35:56 PM Altitude 82 meters
 GMT 11:05:56 AM Saturday, 07.09.2024



E9, Varanasi, Uttar Pradesh 221010, India
 Latitude 25.2755323° Longitude 82.9866109°
 Local 04:35:53 PM Altitude 82 meters
 GMT 11:05:51 AM Saturday, 07.09.2024



E9, Varanasi, Uttar Pradesh 221010, India
 Latitude 25.2755323° Longitude 82.9866109°
 Local 12:14:57 AM Altitude 82 meters
 GMT 07:12:57 AM Saturday, 07.09.2024



E9, Varanasi, Uttar Pradesh 221010, India
 Latitude 25.2755323° Longitude 82.9866109°
 Local 03:55:22 PM Altitude 83 meters
 GMT 10:25:22 AM Saturday, 07.09.2024

as

✱

प्रभागीय वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

फोटो प्रमाणिका रामलक्ष्मण


Sanjay Alar



GPS Map
Camera Lite

dhanrajgiri 1, Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh 221011, India


Latitude 25.2659838° Longitude 82.9872827°
Local 02:04:35 AM Altitude 85 meters
GMT 08:34:35 AM Saturday, 07.09.2024



GPS Map
Camera Lite

dhanrajgiri 1, Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh 221011, India

Latitude 25.264349° Longitude 82.9869627°
Local 01:49:08 PM Altitude 85 meters
GMT 08:19:08 AM Saturday, 07.09.2024



GPS Map
Camera Lite



School of Biomedical Engineering, Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh 221011, India

Latitude 25.262222° Longitude 82.9948361°
Local 02:32:29 PM Altitude 82 meters
GMT 09:02:29 AM Saturday, 07.09.2024

45
\$

प्रभागीय वनाधिकारी
वाराणसी वन विभाग वाराणसी

ज्योति प्रजापत
शिव-प्राय
Sanyam Man Shrivastava



प्रभागीय क्वाधिकारी
वाणसी वन प्रमर, वाराणसी

जोते सजपित
शान्ति-मन

Surya Ala

के.प्रकाश

वर्ष 2022-23, 2023-24 व 2024-25 में अब तक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी की दी गई पातन अनुमति का विवरण।

क्र० सं०	अनुमति का पत्रांक व दिनांक	वृक्षों की प्रजाति	वृक्षों की संख्या
वर्ष 2022-23			
1	3602/22-1 दिनांक 06.04.2022	शीशम	1
2	3603/22-1 दिनांक 06.04.2022	शीशम	1
3	1502/22-1 दिनांक 18.10.2022	शीशम	8
		चिलबिल	4
		जंगल जलेबी	3
		इमली	1
		नीम	1
		कोकाट	1
4	1503/22-1 दिनांक 18.10.2022	यूकेलिप्टस	24
5	1504/22-1 दिनांक 18.10.2022	शीशम	1
6	1610/22-1 दिनांक 28.10.2022	जामुन	1
		सेमल	1
7	1614/22-1 दिनांक 28.10.2022	शीशम	2
8	1615/22-1 दिनांक 28.10.2022	शीशम	2
9	1616/22-1 दिनांक 28.10.2022	शीशम	1
10	2579/22-1 दिनांक 18.01.2023	यूकेलिप्टस	32
योग 22-23			84
वर्ष 2023-24			
1	3809/22-1 दिनांक 09.05.2023	यूकेलिप्टस	7
2	680/22-1 दिनांक 22.08.2023	शीशम	4
3	1130/22-1 दिनांक 06.10.2023	यूकेलिप्टस	20
4	1504/22-1 दिनांक 01.12.2023	महुआ	1
		सेमल	1
5	2504/22-1 दिनांक 04.02.2024	नीम	1
		जंगल जलेबी	2
6	2505/22-1 दिनांक 04.02.2024	यूकेलिप्टस	2
योग 2023-24			38
वर्ष 2024-25			
1	2929/22-1 दिनांक 12.04.2024	पीपल	1
		गूलर	3
		आम	3
		शहतूत	1
		सागौन	4
2	3048/22-1 दिनांक 24.04.2024	शीशम	1
योग 2024-25			13
कुल योग			135


प्रभागीय वनाधिकारी
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

फार्म नं० एच-2

08

DCHC 43/2024-25 वाराणसी रेन्ज

पेज नं०

339

पुस्तक सं०

वन विभाग वन विभाग, वाराणसी (डिवीजन) वाराणसी

वन्य अपराध अधिनियम अधि० प्रसूचना (रिपोर्ट) सं०

दिनांक 23/10/2024 अधिक्षेत्र (राजि)

सी धारा 4/10 व 30 उपलब्ध लकड़ी व अन्य वन उपज अधिनियम 1978 की धारा 3/28

समय - 1:00 PM बजे

1. नाम, पिता का नाम और निवास स्थान श्री० अरुण कुमार, पदनाम - रजिस्ट्रार, कशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (BHU) GPS

N 25° 16' 20.64"
E 82° 59' 10.044"

साक्षी का नाम 1- राजेश कुमार, क्षेत्रीय प्रति वनाधिकारी कशी रेन्ज, 2- राजकुमार मौलम, उपक्षेत्रीय वनाधिकारी वाराणसी रेन्ज, 3- स्वयं

कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक 23/10/2024 कशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी परीक्षार में निम्न प्रकार वृक्ष अवैध रूप से काटे गए साक्ष्य पाया जाना।

विवरण. वारंट (12) अंतर्गत वृक्ष अवैध पारतन जिसका पूर्ण विवरण संलग्न है। मद्येत्य,

कशी हिन्दू विश्वविद्यालय परीक्षार में प्रकरण प्रकाश में आया कि अवैध वृक्ष पारतन BHU परीक्षार के अन्तर्गत किया गया है। तत्काल कु.सं. (2) ए वरिष्ठ गण के साथ मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया गया जो उपरोक्त वानुसार वृक्ष काटे जाने के साक्ष्य पाये गये। काटे गए वृक्षों के गोलार्धों से मिलान किया गया तथा दिये गये पारतन अनुज्ञा के मिलान से स्पष्ट हुआ कि उक्त वृक्षों का कोई पारतन परमिट विभाग से कशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा नहीं लिया गया है। कुछ वृक्षों के केवल बूट गोलार्ध पाये गये जिसका प्रकाश मौके पर नहीं मिला। इस प्रकार कशी हिन्दू विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा अवैध रूप से वृक्ष काटे गये हैं तथा अवैध अभिवहन किया गया है। इनके लिए वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1978 की धारा 4/10 व 30 उपलब्ध लकड़ी व अन्य वन उपज अधिनियम 1978 की धारा 3/28 का उल्लंघन किया गया। तत्काल मौके पर पाठे गई लकड़ी को बरामद कर कशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कर्मचारीगण को सुपुर्देगी में दिया जाना चाहा गया परंतु नहीं किया गया। समस्त लकड़ी बूट गोलार्धों का GPS सहित फोटोसाफ्ट लिया गया है। जो साथ में संलग्न है। तत्काल उपरोक्त के विरुद्ध H2 केंद्र जारी किया गया।

4. मूल्य

5. चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण हेतु प्रेषित। आदि का उल्लेख

राहुल कुमार अहिर
23/10/2024

P.T.O.

ग्राम में प्रचलित एक गयेदपा को सूचना दि हव
आवश्यक कार्यवाही एक प्रवित। जोय
राधिकारी की वरत की गतेव एक को
वाहित किया गया है।

प्रमाणिकारी
प्रमाणिकारी

D. C. No - 78/43/24-25, काएपासी

श्री रामसुभा गोतम, P.Y.R.O.

शु अंग्रिम जॉन रिपोर्ट C.D.O. के आलय
के बीए इन्फरमेशन बनने

प्रमाणिकारी

क्र.सं.	प्राजाति	द्वितीय श्रेणी (मी.सं.)
1.	गोडसमोहर	2.18
2.	गोडसमोहर	2.18
3.	गोडसमोहर	2.18
4.	गोडसमोहर	2.18
5.	गोडसमोहर	2.18
6.	गोडसमोहर	2.18
7.	गोडसमोहर	2.18
8.	गोडसमोहर	2.18
9.	गोडसमोहर	2.18
10.	गोडसमोहर	2.18
11.	गोडसमोहर	2.18
12.	गोडसमोहर	2.18

प्रमाणिकारी
श्री रामसुभा गोतम

प्रजाति	बोवा क्रमांक	लम्बाई (मी०मे)	गोलाई (मी०मे)	रक्षण का नाम	श्रेणी
आम	01	3.05	2.50	श्री निवास रामानुजम दातावादा	
	02	1.92	1.60	— " —	
	03	1.05	0.99	— " —	
	04	1.55	0.75	— " —	
	05	1.30	0.90	— " —	
	06	1.92	2.00	— " —	
	07	1.40	1.70	— " —	
	08	1.32	0.99	— " —	
2. आम	01	2.80	2.40	विठ्ठल संस्थान के पास	
	02	0.70	2.39	— " —	
	03	1.50	2.00	— " —	
	04	1.35	1.90	— " —	
3. आम	01	2.09	2.75	सरंजनी नायडु दातावादा	शेघ प्रकृष असल गायब है।
4. गोलडमोहर	01	0.91	2.40	सिंह एर के पास (8 मंभेन गुले के सा (धुन्दलल अस्पत्रके के पास)	शेघ प्रकृष गायब है।
5. गोलडमोहर	01	1.10	1.70	दिसुडा गेट के पास	शेघ प्रकृष गायब है।
	02	2.10	1.10	— " —	
6. महुआ	01	2.10	2.90	रती लक्ष्मी बडि दातावादा के पास	—
	02	1.40	2.60	— " —	
	03	1.20	1.40	— " —	
	04	1.15	1.75	— " —	
	05	1.95	1.10	— " —	
	06	1.90	1.25	— " —	
	07	1.85	1.10	— " —	
	08	2.45	1.92	— " —	
	09	1.45	1.91	— " —	
	10	1.92	1.40	— " —	
	11	1.40	1.55	— " —	
	12	1.55	1.37	— " —	
	13	1.90	1.11	— " —	

प्रजाति	बोता क्रमांक	लम्बाई (मी०)	गोलाई (मी०)	स्थल का नाम	अभियुक्ति
1. महुआ	01	1.25	2.45	रानी लक्ष्मीबाई दानवा	शेष प्रकाश गायब है।
	02	1.90	2.08		
	03	1.85	1.57		

उपरोक्त सतिटीकर जड़ से लगे हुए भी गोलाई पाई गई।

क्रम संख्या	प्रजाति	बोता गोलाई	स्थल का नाम	अभियुक्ति
1.	आम	1.80	जीम खाना गल्ल (अमल दुकरन के पास)	शेष प्रकाश गायब है।
2.	आम	1.82	— " —	— " —
3.	आम	2.08	— " —	— " —
4.	गोल्डमोहर	2.81	विहंगरा के पास (BHU भवन गेट के (पं. तुन्दराम आस्पताल के किनारे)	शेष प्रकाश गायब है।
5.	कदहल	1.95	हेल्थ (नेन्टा के पास)	शेष प्रकाश गायब है।

वडा. र. र. र.
(रुस रुस रुस रुस रुस
१५)



संलग्नक- 10

कार्यालय वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी

(वन भवन, एच0आई0जी0-33, अशोक बिहार कालोनी फेज-1 पहड़िया वाराणसी-221007)
E-Mail-cfvaranasi2@yahoo.com, cfva-up@nic.in दूरभाष-0542-2585444

सेवा में पत्रांक-1053 /2-43, दिनांक वाराणसी, अक्टूबर, 15- 2024

डा0 प्राची गंगवार,
उप महानिरीक्षक (केन्द्रीय)
क्षेत्रीय कार्यालय,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार लखनऊ ।

विषय:- O.A.No.928 of 2024 titled as Saurabh Tiwari vs Union of India & ors before The Hon'ble N G T, New Delhi-reg.

संदर्भ:- आपका पत्रांक File No.L-1330/यू0पी0/2024/190 दिनांक-03-09-2024, व File No.L-1330/ यू0पी0/2024/178 दिनांक-09-08-2024 ।

सर्वेक्ष महोदया,

~~31.07.2024~~
15-10-24

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें मूल वाद संख्या-928/2024 में शिकायतकर्ता श्री सौरभ तिवारी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के काटे गये वृक्षों के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, न्यायालय में वाद दाखिल किया गया है कि, " बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय, वाराणसी के 1300 एकड़ परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पेड़ मौजूद थे, जिसे बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की गयी है। जिसमें सागौन, आम आदि के वृक्षों काटे गये है यहाँ तक की चन्दन के पेड़ भी काटे गये है " याची द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि विश्व विद्यालय प्रशासन द्वारा यह झूठा तर्क दिया जा रहा है कि उनके द्वारा उक्त काटे गये वृक्षों के एवज में कई वृक्ष लगाये गये है याची ने अपने याचिका प्रार्थना के साथ विभिन्न फोटोग्राफ्स एवं GPS Coordinates अपने तथ्य को प्रमाणित करने हेतु प्रस्तुत किये गये हैं। मा0 ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक-31.07.2024 को इस संदर्भ में एक आदेश पारित किया गया है, जिसके प्रभावी अंश निम्न प्रकार से है।

- 5- In order to ascertain the truthfulness of the allegation and also the extent of trees which have been cut, if any permission was obtained before cutting of trees and if any compensatory plantation has been done, we deem it proper to form a committee comprising of RO, MoEF and CC Lucknow and Divisional Forest Officer, Varanasi who will act as the coordinating agency.
- 6- The Two Member committee will visit the site and ascertain the correct position keeping in view the observations made above and will submit report before the Tribunal at least one week before the next date of hearing.
- 7- List on 11.11.2024.

जिसके क्रम में आप द्वारा अपने पत्रांक-L-1330/यू0पी0/2024/190 दिनांक-03-09-2024 द्वारा अधोहस्ताक्षरी से इस सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण करते हुए एक प्रारम्भिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं, जिसके क्रम में दिनांक 03.10.2024 को स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त रिपोर्ट निम्न प्रकार से है:-

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में लगभग 1300 एकड़ के विस्तृत क्षेत्र में जनपद वाराणसी, उ0 प्र0 में अवस्थित एक केन्द्रीय विश्व विद्यालय है जिसमें कई संकाय, विभाग, म्यूजियम, मन्दिर व हास्पिटल स्थित है। उक्त कैम्पस में विगत वर्ष 2022-23, 2023-24 व 2024-25 में विश्व विद्यालय प्रशासन, द्वारा माँगे गये कुल वृक्षों की अनुमति एवं वन विभाग द्वारा जारी की गयी कुल पातन अनुज्ञा प्रपत्रों तथा उक्त अनुज्ञा के एवज में विश्व विद्यालय द्वारा लगाये गये, पौधों के सम्बन्ध में एक विस्तृत रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्रांक-659/2-43, दिनांक-04.09.2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी से माँगी गयी है। इस सम्बन्ध में उक्त सूचना इस कार्यालय के पत्रांक-659/2-43, दिनांक-04.09.2024 द्वारा कुल सचिव, काशी हिन्दू विश्व विद्यालय से भी माँगी गयी है। इसके सम्बन्ध में कुल सचिव, काशी हिन्दू विश्व विद्यालय, वाराणसी द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट अपने कार्यालय पत्रांक-R/P/2024-25/360 दिनांक-05.10.2024 के माध्यम से इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है, जिसमें विगत वर्ष 2022-23, 2023-24 व 2024-25 में काशी हिन्दू विश्व विद्यालय द्वारा कुल काटे गये वृक्षों की संख्या प्रजातिवार वन विभाग द्वारा जारी पातन अनुज्ञा व उक्त के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के क्रम में लगाये गये वृक्षों का प्रजातिवार विवरण व स्थल का विवरण जहाँ पौधे लगाये गये हैं को तालिका में दर्शाया गया है जिसमें कुल 152 वृक्षों का पातन बताया गया है, व कुल 1607 वृक्षों का रोपण क्षतिपूरक वृक्षारोपण में किया गया है (तालिका संलग्नक-1)।

प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पत्रांक-1581/29-1, दिनांक-14.10.2024 द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी की अध्यक्षता में गठित टीम द्वारा कुल सचिव, द्वारा प्रस्तुत आख्या की स्थलीय जाँच करते हुए अवगत कराया है कि विश्व विद्यालय परिसर में वर्ष-2022-23, 2023-24 व 2024-25 (वर्तमान तक) कुल 161 वृक्षों का पातन किया गया है जिसके सापेक्ष कुल 1630 पौधों का रोपण विश्व विद्यालय द्वारा किया गया है, परन्तु प्रभागीय अभिलेखों की जाँच करने पर 2022-23, 2023-24 व 2024-25 तक कुल 135 वृक्षों के पातन अनुमति वन विभाग के द्वारा निर्गत की गयी है, इस प्रकार कुल $(161-135=26)$ 26 वृक्ष ऐसे हैं जिनकी पातन अनुज्ञा विश्व विद्यालय प्रशासन द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग वाराणसी से प्राप्त नहीं की गयी है।

इसके अतिरिक्त प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि विश्व विद्यालय परिसर में द्रव्य गुण विभाग के परिक्षेत्र से कुल 07 चन्दन (*Santalum altum*) के वृक्षों के अवैध पातन के प्रमाण भी मिले हैं एवं वन विभाग की टीम द्वारा उक्त अवैध कटे वृक्षों के दूठ की गोलाई व जी0पी0एस0 लोकेशन अंकित किया गया है। उक्त चन्दन के वृक्षों के सम्बन्ध में विश्व विद्यालय प्रशासन, से पूछ-ताछ करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त वृक्ष दिनांक-13.10.2023 को चोरी कर लिए गये थे, एवं सम्पूर्ण लकड़ी गायब कर दी गयी थी। उक्त घटना के सम्बन्ध में सहायक सुरक्षा अधिकारी, द्वारा थाना-लंका, वाराणसी में एक प्राथमिकी दर्ज की गयी है, (संलग्नक-2) परन्तु कहीं भी चन्दन प्रजाति का उल्लेख सुरक्षा अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। उनके द्वारा केवल कीमती पेड़ चोरी होने के सम्बन्ध में शिकायत की



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

(वन भवन, एच.आई.जी.-36 अशोक विहार कालोनी फेज-1, पहडिया, वाराणसी-221007)

दूरभाष/फैक्स-0542 2585574

ई-मेल dfvrns@yahoo.in

पत्रांक:- 1802 /29-1,

दिनांक, वाराणसी, अक्टूबर 26 2024 ।



रजिस्ट्रार,

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल याचिका संख्या-ओ.ए.-928/2024, सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य के सम्बन्ध में।

उक्त विषयक सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयगत वाद में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में बिना सक्षम स्तर की अनुमति के वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में उपरोक्त वाद दाखिल है। विषयगत वाद में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा दिनांक-31.07.2024 के पारित विस्तृत आदेश के बिन्दू संख्या-5 में अंकित कमेटी के द्वारा बी.एच.यू. परिसर में पातन किये गये वृक्षों एवं बी.एच.यू. परिसर में वृक्षारोपण किये गये पौधों के सम्बन्ध में जांच/परीक्षण करने के आदेश हैं। मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-31.07.2024 की अनुपालन आख्या नियत तिथि दिनांक-11.11.2024 से पूर्व मा0 न्यायालय में दाखिल किया जाना है। विषयगत वाद में अन्य के साथ साथ बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय प्रतिवादी संख्या-02 हैं।

मा0 एन.जी.टी., न्यायालय के आदेश दिनांक-31.07.2024 के अनापलन के क्रम में उप प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी से बी.एच.यू. परिसर में काटे गये वृक्षों एवं इसके सापेक्ष वृक्षारोपण किये गये पौधों के सम्बन्ध में टीम गठित करते हुए स्थलीय निरीक्षण करके जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। उप प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराये गये आख्या/अभिलेखों के आधार पर विवरण निम्नवत है-

1. मा0 सरफराज आलम, उद्यान विशेषज्ञ इकाई, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक-12.09.2024 को प्रेषित सूचना के आधार पर बी.एच.यू. परिसर में वर्ष 2022-23 से 2023-24 एवं 2024-25 तक कुल 152 वृक्षों की अनुज्ञा पत्र प्राप्त करके उसमें से 149 वृक्षों का पातन किया गया है। 152 वृक्षों में से शेष 03 वृक्षों का पातन किया जाना है, परन्तु मौके पर 03 वृक्षों की स्पष्टता नहीं है।

2. जांच करवाने पर पाया गया कि बी.एच.यू. परिसर में वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में पातित वृक्ष के सापेक्ष रोपित पौधों की टीम बनाकर स्थलीय सत्यापन करायी गयी। सत्यापन में प्रेषित आख्या के आधार पर वर्ष 2022-23 व 2023-24 में 149 वृक्षों का पातन किया गया जिसके सापेक्ष 1498 पौधरोपण किया गया।

प्रभागीय अभिलेखों के आधार पर वर्ष 2022 से 2024 तक कुल 135 वृक्षों के पातन से सम्बन्धित अनुमति पत्र निर्गत किये गये हैं। इस प्रकार उप प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी के द्वारा गठित टीम के द्वारा पातन किये गये वृक्षों की संख्या-149 के सापेक्ष 135 वृक्षों की पातन अनुमति प्राप्त की गयी, जबकि (149-135=14) 14 वृक्षों के पातन की अनुमति बी.एच.यू. प्रशासन के द्वारा वन विभाग से प्राप्त नहीं की गयी। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा 14 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी के द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के आधार पर एवं प्रभागीय अभिलेखों के आधार पर वर्ष 2022 से 2024 तक 135 वृक्षों के पातन अनुमति प्रभागीय कार्यालय द्वारा निर्गत किये गये है जिसके सापेक्ष जांच टीम को बी.एच.यू. परिसर में क्रमशः 1498 एवं 132 पौधों कुल 1630 पौधों का वृक्षारोपण किया जाना पाया गया।
2. उप प्रभागीय वनाधिकारी वाराणसी द्वारा गठित टीम के द्वारा बी.एच.यू. परिसर के स्थलीय निरीक्षण में दिनांक-07.10.2024 को आम 06, गोल्ड मोहर 03, कटहल 01, महुआ 02 कुल 12 वृक्षों का अवैध पातन पाया गया। इन वृक्षों के पातन अनुमति बी.एच.यू. प्रशासन द्वारा वन विभाग से नहीं प्राप्त की गयी है। इस अवैध पातन के सम्बन्ध में बी.एच.यू. प्रशासन के विरुद्ध वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के सुसंगत प्राविधानों के तहत प्रो० अरुण कुमार सिंह, रजिस्ट्रार, बी.एच.यू. वाराणसी के नाम से वन अपराध संख्या-43/2024-25, दिनांक-23.10.2024 पंजीकृत किया गया है।
3. जांच में पाया गया कि बी.एच.यू. परिसर में द्रव्य गुण विभाग के परिसर में कुल 07 सफेद चन्दन के वृक्षों के पातन के ठूठ मिले जिनके पातन सम्बन्धी किसी प्रकार की सूचना प्रभागीय कार्यालय वाराणसी को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। यह गम्भीर प्रकरण से इस कार्यालय को अवगत कराते हुए इसके पातन सम्बन्धित अनुमति पत्र काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से प्राप्त करना अपेक्षित है।
4. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित पत्र दिनांक-22.10.2024 के साथ एफ.आई.आर. दिनांक-06.10.2018 एवं 23.10.2023 प्रेषित किया गया है जिसके अवलोकन से पारा गया कि विश्वविद्यालय परिसर में दिनांक-03.10.2018 को 04 चन्दन के पेड़ काटे गये है तथा काटी गयी लकड़ी चुरा ली गयी है तथा एफ.आई.आर. दिनांक-23.10.2023 में द्रव्य गुण विभाग में 03 किमती पेड़ काटे गये है, अतः 04 पेड़ काटे गये है और मौके से लकड़ी गायब है, अवगत कराया गया।
5. बी.एच.यू. प्रशासन के द्वारा बी.एच.यू. परिसर में दिनांक-03.10.2018 को अवैध रूप से 04 पेड़ चन्दन का अवैध रूप से पातन एवं समस्त लकड़ी चोरी हो जाने तथा पुनः दिनांक-23.10.2023 को 03 पेड़ कीमती काटे गये अतः 04 पेड़ गाटे गये और लकड़ी गायब है बी.एच.यू. प्रशासन द्वारा प्रेषित प्राथमिकी में दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि पूर्व में चन्दन पेड़ के अवैध कटान होने के उपरान्त भी बी.एच.यू. प्रशासन के द्वारा अवैध कटान को गम्भीरता न लेने के परिणामस्वरूप ही उसी परिसर में पुनः अवैध कटान होना एक गम्भीर विषय है। बी.एच.यू. परिसर में चन्दन जैसे संवेदनशील वृक्षों का 02 बार अवैध पातन होने के उपरान्त भी वन विभाग को इस अवैध कटान के सम्बन्ध में सूचित नहीं किया गया।
6. बी.एच.यू. में निरीक्षण के दौरान वार्ता करने पर पाया गया कि बी.एच.यू. परिसर में स्थित वृक्षों की डालों की छाटाई की अनुमति नहीं ली जाती है। इस सम्बन्ध में बी.एच.यू. प्रशासन को अवगत कराया गया कि परिसर में स्थित वृक्षों की डालों की छाटाई/कटान एवं वृक्षों की पातन के सम्बन्ध में वन विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही पातन किया जाय, ताकि वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्राविधानों के उल्लंघन की स्थिति उत्पन्न न होने पाये।

10. दिनांक-24.10.2024 को भारत सरकार एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन की उप महानिरीक्षक, वन संरक्षक (वाराणसी वृत्त वाराणसी), प्रभागीय वनाधिकारी (वाराणसी वन प्रभाग वाराणसी) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय स्टाफ के साथ बी.एच.यू. परिसर में पातित वृक्षों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण में बी.एच.यू. प्रशासन के प्रतिनिधि प्रो० इंचार्ज सरफराज आलम, उद्यान विशेषज्ञ इकाई, श्री अश्वनी कुमार देशवाल, उद्यान विशेषज्ञ अधिकारी, प्रो० बी. राम, द्रव्य गुण विभाग, आई.एम.एस. बी.एच.यू. एवं श्री रामजन्म राम, माली उपस्थित थे। बी.एच.यू. प्रतिनिधि के द्वारा अवगत कराया गया कि बी.एच.यू. परिसर में वृक्षों की सुरक्षा के सम्बन्ध में आन्तरिक टीम गठित है जिसके द्वारा वृक्षों की निगरानी का अनुश्रवण किया जाता है। बी.एच.यू. प्रशासन से अपेक्षा की जाती है कि बी.एच.यू. प्रशासन द्वारा वृक्षों की सुरक्षा के सम्बन्ध में गठित टीम एवं बी.एच.यू. प्रशासन द्वारा काटे गये वृक्षों के सम्बन्ध में अब तक की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या अभिलेखीय साक्ष्यों सहित दिनांक-28.10.2024 तक प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

11. उपरोक्त सम्बन्ध में समस्त अभिलेखों/गठित टीम द्वारा प्रस्तुत किये गये आख्या के आधार पर बी.एच.यू. प्रशासन द्वारा क्रमशः 14 एवं 12 वृक्षों कुल 26 वृक्षों की पातन अनुमति वन विभाग से प्राप्त नहीं की गयी है। इस सम्बन्ध में बी.एच.यू. प्रशासन दिनांक-28.10.2024 तक तथ्यात्मक स्पष्ट आख्या अभिलेखीय साक्ष्यों सहित इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि विषयगत अतिमहत्वपूर्ण प्रकरण में मा० एन.जी.टी. न्यायालय का आदेश दिनांक-31.07.2024 के अनुपालन में नियत तिथि दिनांक- 11.11.2024 से पूर्व अनुपालन आख्या दाखिल करने की कार्यवाही की जा सके।

भवदीया,



(स्वाति)

प्रभागीय वनाधिकारी,
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

पत्रांक: 1802 /समदिनांकित

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप महा निरीक्षक(केन्द्रीय), क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी।



(स्वाति)

प्रभागीय वनाधिकारी,
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल याचिका संख्या-ओ.ए.-

928/2024, सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में

पैरावाइज नरेटिव:-

प्रस्तर संख्या-1

वादी का कथन आंशिक रूप से सत्य है क्योंकि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के एवं विभागीय अभिलेखों के उद्धरण एवं स्थलीय निरीक्षण के अनुसार वर्ष 2022, 2023 व 2024 तक कुल वन विभाग द्वारा 135 वृक्षों के पातन की अनुज्ञा प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी द्वारा निर्गत की गयी है जबकि वर्ष 2022, 2023 एवं 2024 तक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा 161 वृक्षों का पातन किया गया है। इसके अतिरिक्त काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के द्रव्यगुण विभाग के परिसर में चन्दन के 07 वृक्षों सफेद चन्दन की बूट के पातन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।

प्रस्तर संख्या-2

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा वन विभाग से 135 वृक्षों का पातन अनुज्ञा प्राप्त कर कुल 168 वृक्ष आम, सागौन, यूकेलिप्टस, नीम, महुआ, शीशम, चन्दन आदि वृक्षों का पातन किया गया है जिसके एवज में 1630 क्षतिपूरक पौधों का रोपण किया गया है।

प्रस्तर संख्या-3

वादी का कथन असत्य है क्योंकि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा काटे गये 168 वृक्षों के सापेक्ष 1630 पौधों का रोपण किया गया है।

प्रस्तर संख्या-4

वृक्षों के पातन एवं वृक्षारोपण से सम्बन्धित जांच प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी के स्तर से जांच कमेटी बनाकर कर ली गयी है।

प्रस्तर संख्या-5

टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

प्रस्तर संख्या-6

मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश से सम्बन्धित है। टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

प्रस्तर संख्या-7

अभिलेखों से सम्बन्धित है। टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

प्रस्तर संख्या-8

मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश से सम्बन्धित है। टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

प्रस्तर संख्या-9

टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।



(स्वाति)

प्रभागीय वनाधिकारी,
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।
प्रभागीय वनाधिकारी
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल याचिका संख्या-
ओ.ए.-928/2024, सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य
के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षणोपरान्त जांच आख्या-

मूल वाद संख्या-928/2024 में वादी श्री सौरभ तिवारी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के काटे गये वृक्षों के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, न्यायालय में वाद दाखिल किया गया है कि "बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी के 1300 एकड़ परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पेड़ मौजूद थे, जिसे बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की गयी है, जिसमें सागौन आम आदि के वृक्ष काटे गये हैं यहां तक की चन्दन के पेड़ भी काटे गये हैं।" याची द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यह झूठा तर्क दिया जा रहा है कि उनके द्वारा उक्त काटे गये वृक्षों के एवज में कई वृक्ष लगाये गये हैं। याची ने अपने याचिका प्रार्थना पत्र के साथ विभिन्न फोटोग्राफ एवं जी.पी.एस. कोआर्डिनेट्स अपने तथ्य को प्रमाणित करने हेतु प्रस्तुत किये गये हैं। मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक-31.07.2024 को इस सन्दर्भ में एक आदेश पारित किया गया है, जिसके प्रभावी अंश निम्न प्रकार है-

5. In order to ascertain the truthfulness of the allegation and also the extent of trees which have been cut, if any permission was obtain before cutting of trees and if any compensatory plantation has been done, we deem it proper to form a committee comprising of RO, MoEF and CC Lucknow and Divisional Forest Officer, Varanasi who will act as the coordinating agency.
6. The Two Member committee will visit the site and ascertain the correct position keeping in view the observations made above and will submit report before the Tribunal at least one week before the next date of hearing.
7. List on 11.11.2024.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त वाद में पारित आदेश दिनांक-31.07.2024 के अनुपालन के क्रम में दिनांक-24.10.2024 को उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार लखनऊ, वन संरक्षक वाराणसी वृत्त, वाराणसी, प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग वाराणसी एवं वन विभाग के क्षेत्रीय कर्मी तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रतिनिधि प्रो0 इंचार्ज सरफराज आलम, उद्यान विशेषज्ञ इकाई, श्री अश्वनी कुमार देशवाल, उद्यान विशेषज्ञ अधिकारी, प्रो0 वी. राम द्रव्य गुण विभाग, आई.एम.एस. वी.एच.यू. एवं श्री राज जन्म राम माली की उपस्थिति में स्थलीय निरीक्षण किया गया।

स्थलीय निरीक्षण में विश्वविद्यालय परिसर में 07 चन्दन के वृक्षों एवं 12 विभिन्न प्रजाति के वृक्षों का पातन होना पाया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन के उपस्थित प्रतिनिधि के द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 07 चन्दन के वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में वर्ष 2018 एवं 2023 में एफ.आई.आर. करायी गयी है, परन्तु इस अवैध पातन के सम्बन्ध में वन विभाग को सूचना नहीं दी गयी है। निरीक्षण के दौरान विभिन्न प्रजाति के 12 वृक्षों का अवैध पातन पाया गया जिसके पातन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं ली गयी है।

प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में गठित टीम द्वारा स्थलीय सत्यापन में 1630 पौधों का वृक्षारोपण पाया गया।


निरीक्षण के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन के उपस्थित प्रतिनिधि से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों, सुरक्षा व्यवस्था एवं विश्वविद्यालय परिसर के आवागमन हेतु स्थापित गेट पर तैनात सुरक्षा बल के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी को अवगत कराने हेतु कहा गया।

विश्वविद्यालय परिसर चारों ओर से दिवारों से घिरा होने, विश्वविद्यालय परिसर में आवागमन हेतु स्थापित समस्त गेटों पर सुरक्षा गार्डों की तैनाती एवं सीसीटीवी कैमरे लगे होने के उपरान्त भी विश्वविद्यालय परिसर में स्थित वृक्षों का अवैध पातन होना एवं समस्त प्रकाष्ठ चोरी हो जाना संदेहास्पद है। अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में शिकायत कर्ता द्वारा दाखिल याचिका संख्या-ओ.ए.-928/2024, सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में की गयी शिकायत सिद्ध होती है।



(स्वाति)

प्रभागीय वनाधिकारी,
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।



(प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय),

क्षेत्रीय कार्यालय

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार

लखनऊ।